संख्या- 27 /XIX/पुर्न०वि०/2006-61/खाद्य/2005

प्रेषक,

मदन सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 21 फरवरी, 2006

विषयः वित्तीय वर्ष 2005-06 में अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक संख्या-3456-के अन्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-61/रा0आ0उ0सं0, दिनांक 31 जनवरी, 2006 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-581/XIX/बजट/2005-61/खाद्य/05, दिनांकः 07-4-2005, संख्या-716/XIX/बजट/05-61/खाद्य/2005, दिनांकः 02-5-2005, संख्या-1146/XIX/बजट/ 05-61/खाद्य/2005, दिनांकः 21-7-2005, संख्या-1215/XIX/ बजट/05-61/खाद्य/05, दिनांकः 30-9-2005, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय खाद्य विभाग के राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण के अधिष्ठान मद के अन्तर्गत अध्यक्ष, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण के आवास के अनुरक्षण हेतु संगत मद से रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) तथा संलग्न बी0एम0 15 के कॉलम-5 में अंकित रू0 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) के पुनर्विनियोग कर कुल 1.50 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1 उक्त धनराशि केवल उन्हीं मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2 स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3 यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जायेगा जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण मे व्यय के पूर्व वह प्राप्त कर ली जाय।

4 स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकतानुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम-13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5 उक्त मद मितव्ययता की मद है इसमें व्यय सीमित रखते हुए कटौती किये जाने का प्रयास किया जाय।

6 इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-3456-सिविल पूर्ति-00-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय के अन्तर्गत प्रस्तर-1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7- यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-89/वि0अनु0-5/2006, दिनांक 18 फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल) (नदन सिंह)
सचिव।

संख्या-27/06(1)/XIX/पूर्ण0वि0/2006-61/खाद्य/2005,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तरांचल, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल देहरादून।
6. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
7. वरिष्ठ सम्भागीय वित्त लेखाधिकारी, खाद्य, गढ़वाल संभाग, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन।
9. समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

C:\nitin\...\data\...doc

अनुदान संख्या–25

पुनर्विनियोग– 2005–2006 विवरण पत्र

प्रशासनिक विभाग– राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, नियंत्रक अधिकारी– सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।

आयोजनेत्तर से आयोजनेत्तर में

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण		मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–01 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1		2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या–25 3456–सिविल पूर्ति 001–निदेशन तथा प्रशासन–04–उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय 21–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	–50	0	0	50(क)	42–अन्य व्यय–50	150	0	(क) स्तम्भ–1 में आवश्यकता नहीं है। (ख) नवनियुक्त अध्यक्ष के आवासीय अनुरक्षण हेतु संगत मद में बजट व्यवस्था कम होने के कारण।
योग	50	0	0	50	50	150	0	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग के बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155,156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(एम०सी० उप्रेती)
अपर सचिव।